न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 43 / 2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 जगमाल आयु 69 वर्ष पुत्र टीकू जाति जाट निवासी हेजमपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जवाहर लाल आयु 66 वर्ष पुत्र तेजाराम।
2 विजय सिंह आयु 59 वर्ष पुत्र तेजाराम।
3 धर्मपाल आयु 43 वर्ष पुत्र तेजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण हेजमपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.17
बमुकदमा उनवान जगमाल बनाम जवाहारलाल
दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड व
स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 213 / 15 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांक:–06.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 213/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट की और से विचारण न्यायालय के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 129,130,230,231,360, 361,362,363,364,365 वाके ग्राम हेजमपुरा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने, खसरा नम्बर 360 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 362 व 363 में से रास्ता देने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की और से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय ने वादी का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई आवेदन स्वीकार कर वाद खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में मेरा दावा घोषण रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का है मद संख्या 15 में चाहे गये अनुतोष को विचारण न्यायालय ने नजर अंदाज किया है। मेरा दावा विभाजन का नही है मेरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुंझुनू

दावा रिकार्ड दुरूस्ती एवं सीमा सही करने का है रास्ते को नही रोकने के लिए है विचारण न्यायालय ने वाद कारण नही होना मानकर दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें। अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे (राजस्थान) 2011(1) पेज 344, डी.एन.जे. (एस.सी.) 2015(1) पेज 242 एवं आर.आर.टी. 2011(2) (एच.सी.)पेज 1203 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि सन 2007 में विवादित भूमियों के सन्दर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) के अन्तर्गत इन्ही पक्षकारों के मध्य सहमती से विभाजन तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष हो चुका है इसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 62 दिनाक 22.02.2007 को स्वीकृत हो चुका है इस पर वादी की सहमती के हस्ताक्षर है वादी को दावा के लिए कोई वादकरण नही था विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादकरण नही होने पर दावा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। रास्ते के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय ने धारा 251ए का विकल्प वादी के लिए खुला छोड़ा है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2003(एस.सी) पेज 73, डी.एन.जे. 2017(टी.)एच.सी. पेज 1, आर.आर.डी. 1985 पेज 694, आर.आर.डी 2015 पेज 677 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि दावे में उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 360,361, 362,363,364,365 वाके ग्राम हेमजपुरा के सन्दर्भ में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा भूरा के पुत्र सोहनराम , भूरा के पुत्र हनुमानाराम के वारिस प्यारेलाल, रोहिताश व कमल सिंह के मध्य राजस्थान काश्तकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत विधिवत विभाजन तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष सन 2007 में हुआ और उपरोक्त विधिवत विभाजन होने के बाद रिकार्ड में अमल दरामद हुआ इस विभाजन के आधार पर नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 22.02.2007 स्वीकृत हुआ है। इस विभाजन में वादी की उपस्थिति में वादी की सहमती के हस्ताक्षर है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विधि अनुसार एक बार विभाजन होने के पश्चात उक्त भूमि के सन्दर्भ में पुन दावा करना विधि विरूद्व है वादी को दावा के लिये कोई वादकरण होना प्रकट नही होता है इस प्रकार वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित एवं वादकरण के अभाव में खारिज योग्य मानने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। जहां तक रास्ते के अनुतोष का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने इस सन्दर्भ में वादी को धारा 251ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र रखा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाया जाता है जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/11/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर